

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर।

वाद सं० -

राज्य बनाम सुभम

धारा-117(2),115(2),352,

351(2),126(2) **BNS**

थाना-टाण्डा, जिला- रामपुर

मु०अ०सं-569/2025

प्रसंज्ञान आदेश

22-05-2026

आज थाना टांडा, जिला रामपुर के विवेचक द्वारा यह आरोप पत्र प्राप्त होकर प्रस्तुत हुआ। आरोप पत्र, केस डायरी तथा अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त **सुभम** के विरुद्ध धारा- 117(2),115(2),352,351(2),126(2) बी०एन०एस० में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। प्रथम दृष्टया आरोप पत्र में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत आरोप पत्र में नामित अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान लिये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त **सुभम** के विरुद्ध धारा- 117(2),115(2),352,351(2),126(2)बी०एन०एस० में संज्ञान लिया जाता है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्त जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक 14-07-2026 को पेश हो।

(अनुपमा सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

रामपुर